कर्नाटक राज्य और अन्य

बनाम

जनथकल उद्यम और अन्य

(2011 की सिविल अपील नं. 3293-3294)

15 अप्रैल, 2011

[आर. वी. रवींद्रन और ए. के. पटनायक, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226- वन/खनन/पर्यावरण के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों से जुड़ी रिट याचिकाएँ - न्यायालयों को देश के वनों और खनिज संपदा के संरक्षण के लिए विधायी चिंता को साझा करना चाहिए - न्यायालयों को वन/खनन/पर्यावरण मामलों में वन/ खनन/पर्यावरण मामलों में अंतिम या अंतरिम आदेश जारी करते समय सतर्क रहना चाहिए ताकि बेईमान संचालक बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने के लिए अदालतों की प्रक्रिया का दुरुपयोग न करें या देश की खनिज संपदा को न लूटें या प्रक्रियात्मक को दरकिनार करने के लिए गलत बयानी करके आदेश सुरक्षित न करें। न्यायालय का कर्तव्य माना गया। प्रासंगिक कानूनों के तहत सुरक्षा उपाय - केंद्र सरकार और राज्य सरकार विशाल और जटिल संगठन हैं और कई बार पूछताछ, जांच या जांच की आवश्यकता वाले मामलों में जानकारी सुरक्षित करने और उन्हें अदालत में प्रदान करने के

लिए काफी समय की आवश्यकता होती है - जहां रिट याचिकाएं तथ्य के विवादित प्रश्नों से जुड़ी होती हैं विचार के लिए आने वाले वन/खनन/पर्यावरण मामलों के संबंध में अदालतों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को तथ्यों की पूरी तरह से जांच करने के बाद अपनी आपत्तियां/प्रतिवाद दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय और छूट देनी चाहिए - यदि अनुचित जल्दबाजी है तो संबंधित मंत्रालय/ विभाग उचित या गहन सत्यापन करने और सही तथ्य रखने में सक्षम नहीं होंगे - ऐसे मामलों में एक गलत निर्णय से सार्वजनिक हित के संबंध में वित्तीय और पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए खनिज संपदा, वन संरक्षण या संबंधित रिट याचिकाएं संबंधित विभागों को तथ्यों को सत्यापित करने और उनके प्रतिवादों/आपत्तियों को लिखित रूप में दर्ज करने का उचित अवसर दिए बिना पर्यावरण संरक्षण का निपटान नहीं किया जाना चाहिए - तत्कालीन मामला एक विशिष्ट उदाहरण है जहां 30.3.2009 को दायर विवादित और अज्ञात तथ्यात्मक आरोपों के निर्णय की आवश्यकता वाली एक रिट याचिका है। राज्य सरकारों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के खनन और वन विभागों को उनके जवाबी हलफनामे दाखिल करने का उचित अवसर दिए बिना 2.7.2009 को निपटा दिया गया - जब रिट याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में जाने पर लगभग एक चौथाई सदी की देरी हुई थी, तो संबंधित उत्तरदाताओं के प्रति-शपथपत्र के बिना रिट याचिका का निपटारा बमुश्किल तीन महीने में नहीं किया जाना

चाहिए था भले ही रिट याचिका में कोई प्रति-शपथ पत्र नहीं था, न ही उत्तरदाताओं को प्रतिवाद दायर करने का कोई अवसर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य और केंद्र सरकार ने रिट याचिका में पहले प्रतिवादी के दावों को स्वीकार कर लिया है और 2.7.2009 को रिट याचिका को अनुमति दे दी - फिर, उच्च न्यायालय ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या राज्य से आपत्ति मांगे बिना सरकार ने रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर अंतिम आदेश में संशोधन किया - त्वरित न्याय प्रदान करने की चिंता के परिणामस्वरूप सार्वजनिक हित का बलिदान नहीं होना चाहिए - उच्च न्यायालय ने तथ्य के गंभीर रूप से विवादित प्रश्नों पर बिना कोई जवाब मांगे जल्दबाजी में निर्णय लेने में गंभीर त्रुटि की और संबंधित अधिकारियों द्वारा पहले प्रतिवादी के दावे का कोई उचित सत्यापन किए बिना उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। राज्य सरकार को देय पहले प्रतिवादी पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है - पर्यावरण - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980-धारा 2 - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3293-3294/2011।

बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.पी. 2009 का नंबर 8094 के निर्णय और आदेश दिनांक 2.7.2009 और 27.8.2009 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से अनिता शेनॉय।

डॉ. अभिषेक एम. सिंघवी, वी. गिरी, रोहित एम. एलेक्स, पी.एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, हारिस बीरन, आमेर मुश्ताक, राधा श्याम जेना, प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश सुनाया गया।

आदेश

1. अनुमति पर सुना गया।

2. पहला प्रतिवादी सर्वेक्षण संख्या 35 में 80.94 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में पंजीकृत पट्टा दिनांक 6.7.1965 के तहत 6.7.1965 से 5.7.1985 की अवधि के लिए खनन पट्टे (सं. 593/993) का धारक था। तनिगेहल्ली का भाग और हिरेकांडावाडी गांवों का सर्वेक्षण नंबर 107 (भाग), होलालकेरे तालुक, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक। पहले प्रतिवादी ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत मंजूरी मांगे बिना 22.6.1984 को खनन पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए एक याचिका दायर की। नवीनीकरण के लिए याचिका को 30.9.1996 को खारिज कर दिया गया था। हालाँकि बाद में 23.8.2007 की दो अधिसूचनाओं द्वारा, राज्य सरकार ने खनन पट्टे के पहले नवीनीकरण को पूर्वव्यापी रूप से बीस साल की अवधि के लिए (5.7.1985 से 4.7.2005 तक) और दूसरे

नवीनीकरण को बीस साल की अन्य अवधि के लिए मंजूरी दे दी। वर्ष (5.7.2005 से 4.7.2025 तक) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत मंजूरी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण मंजूरी के अधीन है लेकिन उक्त नवीनीकरण स्वीकृत नहीं किया गया, क्योंकि पहले प्रतिवादी ने आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की। वास्तव में प्रथम प्रतिवादी द्वारा वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों को पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के कारण कई बार लौटा दिया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रथम प्रतिवादी का आरोप है कि खनन पट्टा क्षेत्र में प्रथम प्रतिवादी द्वारा 5.7.1985 के बाद खनन गतिविधि जारी रखी गई है।

3. पहले प्रतिवादी ने निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कर्नाटक राज्य के समक्ष दिनांक 14.2.2008 का एक कथित अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जो कथित तौर पर भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (संक्षेप में 'एमओईएफ') द्वारा जारी किया गया था, जिसे संबोधित किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कर्नाटक के अनुसार पट्टे वाले क्षेत्र में प्राकृतिक मिट्टी के कटाव और पड़ोसी खनन पट्टेदारों द्वारा फेंके गए कचरे से बने एक लाख टन पुराने कचरे को उठाने के लिए पहले प्रतिवादी को अनुमति दी गई थी। उक्त संचार की वास्तविकता के बारे में नियमित सत्यापन पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के सचिव (वन) को सूचित किया कि दिनांक 14.2.2008 का उक्त पत्र एक फर्जी पत्र था और राज्य को

निर्देश दिया कि सरकार पहले प्रतिवादी और इसके लिए जिम्मेदार अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करेगी। पहले प्रतिवादी ने बाद में स्वीकार किया कि दिनांक 14.2.2008 का पत्र वास्तविक नहीं था। पहले प्रतिवादी के अनुसार, एक इरफान शेख ने खुद को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में कार्यरत लिपिक बताते हुए पहले प्रतिवादी को बताया था कि वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से कोई भी मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम होगा। पहले प्रतिवादी ने उसे अपना मामला समझाया इसके बाद कथित इरफान शेख ने दिनांक 14.2.2008 को उक्त पत्र प्रदान किया जिसमें पुराने अपशिष्ट डंपों को उठाने के लिए अधिकृत किया गया था और यह विश्वास करते हुए कि उक्त पत्र एमओईएफ द्वारा जारी एक वास्तविक पत्र है, पहले प्रतिवादी ने इसे कर्नाटक राज्य के खान और भूविज्ञान विभाग के निदेशक को प्रस्तुत किया था। पहले प्रतिवादी ने कहा कि एक बार जब उसे पता चला कि पत्र नकली है, तो उसने न तो उस पर भरोसा किया और न ही उसका इस्तेमाल किया।

4. पहले प्रतिवादी ने इस न्यायालय में 1995 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 202 (टीएन गोदावरम थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ) में 2008 के आईए नंबर 2419 और 2420 दायर किए, हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी और मंजूरी देने के लिए निर्देशन की मांग की। इसके लिए प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत गैर-वन खनन गतिविधि के लिए

80.94 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन और 75000 मीट्रिक टन लौह अयस्क और 25000 मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क उठाने की अनुमति जो पहले खनन किया गया था और खदान के डंप क्षेत्र में पड़ा हुआ था। उक्त आवेदनों में याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार कहा:

> "'जिस खदान की बात हो रही है, उसमें लगभग 75000 मीट्रिक टन लौह अयस्क और 25000 मीट्रिक टन मैंगनीज है जो पहले खनन किया गया था और डंप क्षेत्र में संग्रहीत किया गया था (1980 से पहले खनन की गई सामग्री)। अपीलकर्ता ने प्रार्थना की कि उसे डंप सामान उठाने और उसे बेचने की अनुमति दी जाए।''

पहले प्रतिवादी ने 80.94 हेक्टेयर के उक्त वन क्षेत्र के लिए एनपीवी का भुगतान करने की भी पेशकश की, साथ ही प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि भी दी। हालाँकि उक्त आवेदनों को 20.3.2009 को इस अदालत द्वारा वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था।

5. इसके बाद पहले प्रतिवादी ने 30.3.2009 को कर्नाटक उच्च न्यायालय (डब्ल्यूपी संख्या 8094/2009) के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और निम्नलिखित राहत की मांग की:

"परमादेश की एक रिट जारी करें जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को आवश्यक शुल्क और रॉयल्टी एकत्र करके चित्रदुर्ग जिले के होलालकेरे तालुक के हिरेकांडावाडी और थानिगेहल्ली गांव में एमएल 593/993 के खनन यार्ड में पड़ी डंप सामग्री को उठाने की अनुमति दें।"

कर्नाटक राज्य, खान और भूविज्ञान निदेशक (कर्नाटक), सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, (भारत सरकार), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कर्नाटक और वन संरक्षक, चित्रदुर्ग डिवीजन को 1 से 5 तक उत्तरदाताओं के रूप में रखा गया था। उक्त रिट याचिका में प्रथम प्रतिवादी ने रिट याचिका में उक्त प्रार्थना के समर्थन में निम्नलिखित आरोप लगाये:

(ए) एमएल संख्या 593/993 के तहत पट्टा क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था जिसमें आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना खनन या अन्य गैर-वन गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था।

(बी) जब 1965 से 1980 के बीच प्रथम प्रतिवादी द्वारा खनन गतिविधियाँ चलाई गईं तब 62% या 63% से कम ग्रेड के लौह अयस्क का कोई मूल्य नहीं था और कम ग्रेड की उत्खनित

सामग्री को खनन क्षेत्र में अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया गया था। पट्टे वाले क्षेत्र में नौ ऐसे पुराने डंप थे जिनमें 1,17,800 मीट्रिक टन अपशिष्ट सामग्री थी, जिसमें 1985 से पहले निकाली गई सामग्री शामिल थी जब खनन पट्टा वैध रूप से लागू था।

(सी) लौह अयस्क के मूल्य में क्रमिक वृद्धि को देखते हुए उक्त डंप की गई सामग्री मूल्यवान हो गई और पहले प्रतिवादी ने उक्त अपशिष्ट का निपटान करने का निर्णय लिया लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पहले प्रतिवादी जो उसका मालिक था, को आवश्यक मंजूरी/परिवहन परमिट जारी नहीं किए गए, जबकि ऐसी मंजूरी/परमिट देने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी।

6. उक्त रिट याचिका प्रारंभिक सुनवाई के लिए 24.4.2009 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आई। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और वन विभाग को अदालत को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक पक्षीय अंतरिम निर्देश भी जारी किया:

(i) खनन यार्ड में उपलब्ध डंप सामग्री की वास्तविक मात्रा क्या थी?

(ii) रॉयल्टी, ईपीएफ, एनपीवी क्या होगी जिसे रिट याचिकाकर्ता अन्यथा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था?

(iii) उन्होंने वनस्पतियों और जीवों को कितना नुकसान पहुँचाया था? और

(iv) यदि रिट याचिकाकर्ता इसके लिए उत्तरदायी था, तो वनीकरण की सीमा क्या थी?

7. जब मामला 2.7.2009 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए आया तो सरकारी वकील ने अदालत को उप वन संरक्षक, चित्रदुर्ग डिवीजन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत दिनांक 18.6.2009 की रिपोर्ट की एक प्रति सौंपी एवं आदेश दिनांक 24.4.2009 के अनुपालन में तैयार किया गया। उक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी दी गई:

प्रश्न: उपलब्ध सामग्री की वास्तविक मात्रा क्या है:

उत्तर: उपरोक्त एमएल क्षेत्र में 9 पुराने डंप हैं। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा मूल्यांकित सामग्री की मात्रा 1,17,800 मीट्रिक टन है।

प्रश्न: इसे कब से डंप किया गया है और उस डंपिंग के कारण कितना नुकसान हुआ है:

उत्तर: उपरोक्त एमएल में इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार 1985 के बाद से क्षेत्र में कोई खनन गतिविधियां नहीं की गईं। सामग्री के डंपिंग के कारण, क्षेत्र और आसपास की नदियों में वन विकास और वनस्पति बाधित होती है।

प्रश्न: याचिकाकर्ता को रॉयल्टी, हर्जाना कितना देना होगा?

उत्तर: रॉयल्टी खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा एकत्रित की जानी है। इसलिए, जानकारी खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा प्रदान की जानी है। आसपास का लगभग 12.00 हेक्टेयर क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28/03/2008 के अनुसार आई.ए. 566 में संख्या 826 संबंधित आईए के साथ रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में क्षतिग्रस्त वन भूमि का मूल्य 8.03 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुमानित है। अत: 1200 हेक्टेयर के लिए। अनिवार्य शर्तों में क्षति की राशि 96.36 लाख रुपये (छियानबे लाख छत्तीस हजार रुपये मात्र) है।

प्रश्न: याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली शुद्ध वर्तमान मूल्य, ईपीएफ की राशि क्या होगी?

उत्तर: माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28/03/2008 के अनुसार आई.ए. 566 में संख्या 826, रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में संबंधित आईए के साथ याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुद्ध वर्तमान मूल्य इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	घनत्व विस्तार (हेक्टेयर में)	एनपीवी की दर (लाख रूपये में)	राशि (रुपये में) लाख))
1	इको-क्लास 111	सघन 80.94	8.03	649.9482

प्रतिपूरक वन रोपण के लिए 84,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर दर से शुल्क् देय होगा यदि उपयोगकर्ता एजेंसी 80.94 हेक्टेयर गैर-वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित करने की कार्रवाई करती है, तो राशि रु. 67,98,960/- (सड़सठ लाख अठ्ठानवे हजार नौ सौ साठ रुपये मात्र) होगी।

यदि प्रतिपूरक वनीकरण भूमि उपलब्ध नहीं है और याचिकाकर्ता गैर-वन भूमि की पहचान करने और उसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने में विफल रहता है, तो राशि दोगुनी यानी 67,98,960 रुपये x 2 गुना रुपये 1,35,97,920/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ बीस मात्र) भूमि में

प्रतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता को का भुगतान करना होगा।

पर्यावरणीय क्षति का आकलन पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा सकता है।"

8. 2.7.2009 को उक्त सुनवाई में जब मामला अगले आदेश के लिए आया तो सरकारी वकील उत्तरदाता 1, 2, 4 और 5 के लिए उपस्थित हुए, तीसरे प्रतिवादी (एमओईएफ, भारत सरकार) की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। जैसा नोटिस की सेवा के बाद केवल कुछ ही समय बीतने के बाद राज्य और उसके वन और खनन विभाग अपनी आपत्तियों का बयान दर्ज नहीं कर सके। वन विभाग का दावा है कि समय के अभाव में वह न तो मुकदमे का संचालन करने वाले अधिकारी की नियुक्ति कर सका और न ही जवाबी हलफनामा तैयार करने के लिए वकील को अपनी पैरावाइज टिप्पणियाँ दे सका। हालाँकि उच्च न्यायालय ने दिनांक 2.7.2009 के आक्षेपित आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ रिट याचिका को अनुमति दे दी:

"याचिकाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, चित्रदुर्ग जिले के होलालकेरे तालुक के हिरेकांडावाड़ी और तानिगेहल्ली गांवों में स्थित खनन यार्ड (एम.एल.नंबर 593/1993) में पड़े 1,17,800 मीट्रिक टन के डंप किए गए लौह अयस्क को हटाने की अनुमति दी गई है:

(i) लौह अयस्क जो पहले ही निकाला जा चुका है और 1,17,800 मीट्रिक टन मात्रा में निर्धारित किया गया है, उसे याचिकाकर्ता द्वारा खनन अधिकारियों को उचित सूचना देकर उठाया जा सकता है।

(ii) ऐसी सूचना मिलने पर खनन अधिकारी एक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो ऐसे उठाव के समय उपस्थित रहेगा।

(iii) ऐसा उठाव कानून के अनुसार और राज्य को आवश्यक रॉयल्टी के भुगतान पर होगा।

(iv) उठाने का कार्य इस आदेश की प्राप्ति या आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर जो भी पहले हो पूरा किया जाना चाहिए,

(v) याचिकाकर्ता को डंप किए गए लौह अयस्क को उठाने से पहले निम्नलिखित राशि का भुगतान करना होगा:

क) रॉयल्टी: रु. 11,04,375/-

ख) मौद्रिक संदर्भ में वन भूमि की क्षति: रु. 96,36,000/-

ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य, पूरे क्षेत्र के लिए ईपीएफ: रु. 6,49,94,820/-

घ) प्रतिपूरक वनरोपण शुल्क। : रु. 67,98,960/-

या

यदि भूमि उपलब्ध नहीं है और यदि नहीं तो प्रतिपूरक वनरोपण शुल्क पर जुर्माना याचिकाकर्ता गैर-वन भूमि की पहचान और हस्तांतरण करने में विफल रहा। :रु.1,35,97,920/-

ई) कोई अन्य वैधानिक बकाया

vi) यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह वन अधिकारियों को तय करना है कि भुगतान के लिए निर्देशित शुद्ध वर्तमान मूल्य वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 के तहत अनुमोदन के लिए समायोज्य है या नहीं।"

9. पृथम प्रतिवादी ने दिनांक 2.7.2009 के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। राज्य या केंद्र सरकार को अपनी आपत्तियाँ दर्ज करने का अवसर दिए बिना उक्त आवेदन पर 27.8.2009 को अनुमति दी गई थी। दिनांक 2.7.2009 के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में निर्देश (iii) और उसके बाद को निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया था:

"(iii) ऐसा उठाव कानून के अनुसार होगा और आवश्यक रॉयल्टी और इस अदालत द्वारा जमा की जाने वाली राशि के भुगतान पर लौह अयस्क उठाने के लिए परिवहन की आवश्यक अनुमति

रॉयल्टी और राशि जमा करने के तीस दिनों के भीतर जारी की जाएगी। इस आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को जमा करने का आदेश दिया गया।

(iv) उठाने का कार्य इस आदेश की प्राप्ति या आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर जो भी पहले हो पूरा किया जाना चाहिए।

(v) याचिकाकर्ता को डंप किए गए लौह अयस्क को उठाने से पहले निम्नलिखित राशि का भुगतान करना होगा: -

ए) रॉयल्टी: :
11,04,375/-

बी) शुद्ध वर्तमान मूल्य, पूरे क्षेत्र के लिए ईपीएफ: :
4,69,45,200/-

ग) प्रतिपूरक वनीकरण शुल्क :
67,98,960/-

या

क्षतिपूर्ति पर जुर्माना यदि भूमि उपलब्ध नहीं है और यदि याचिकाकर्ता गैर-वन भूमि की पहचान और हस्तांतरण करने में

विफल रहता है तो वनीकरण शुल्क: 1,35,97,920/-

घ) कोई अन्य वैधानिक बकाया।

(vi) याचिकाकर्ता वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 के तहत अनुमति देने के उद्देश्य से ईपीएफ के रूप में देय राशि के लिए आदेश के अनुसार भुगतान की जाने वाली वर्तमान राशि को समायोजित करने का हकदार होगा।"

10. उक्त आदेश दिनांक 2.7.2009 और 27.8.2009 को राज्य सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों में चुनौती दी गई है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि रिट याचिका का निपटारा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित गलत तथ्यात्मक धारणाएं बनाई गई थीं जो रिकॉर्ड में सामने नहीं आई हैं:

(ए) रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि खनन क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद पहला प्रतिवादी खनन पट्टा क्षेत्र संख्या 593/993 में कोई खनन गतिविधियां नहीं कर रहा था।

(बी) खनन पट्टा क्षेत्र में पाए गए 1,17,800 मीट्रिक टन लौह अयस्क के नौ डंप पहले प्रतिवादी द्वारा वैध रूप से निकाले गए

थे (जो 5.7.1985 से पहले है) जब खनन पट्टा वैध था और लागू था।

(सी) यह कि रिट याचिका में उत्तरदाताओं (यहां अपीलकर्ताओं) ने पहले प्रतिवादी के दावे पर विवाद नहीं किया कि उसने खनन कार्य बंद कर दिया था और केवल 1980 से पहले खोदे गए डंप किए गए लौह अयस्क को स्थानांतरित करना चाहता था। इसलिए रिट याचिकाकर्ता (यहां पहला प्रतिवादी) खनन पट्टा क्षेत्र से 1,17,800 मीट्रिक टन डंप किए गए लौह अयस्क को हटाने की अनुमति का हकदार था।

(डी) राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पहले प्रतिवादी के दावे को स्वीकार कर लिया।

11. हमें अपीलकर्ताओं के तर्कों में काफी दम नजर आता है न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ने कोई जवाब दाखिल किया और न ही उनके पास कोई जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर था] न ही उन्होंने पहले प्रतिवादी के किसी दावे को स्वीकार किया इस प्रकार जाहिर है, पूरा आदेश डिप्टी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 18.6.2009 की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। वन संरक्षक ने इसे राज्य सरकार की ओर से स्वीकारोक्ति मान लिया लेकिन दिनांक 18.6.2009 की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के एकपक्षीय अंतरिम आदेश के अनुसरण में उप वन संरक्षक

द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सौंपी गई रिपोर्ट मात्र है। यहां तक कि उक्त रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि नौ डंपों में अयस्क का खनन वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने से पहले किया गया था, बल्कि केवल यह बताया गया है कि 1985 के बाद से क्षेत्र में कोई खनन गतिविधि नहीं हुई थी। उक्त रिपोर्ट यह नहीं बताती है कि कब उक्त अयस्क का खनन किया गया था। दरअसल वह जानकारी उच्च न्यायालय द्वारा नहीं मांगी गयी थी। गौरतलब है कि उप वन संरक्षक की उक्त रिपोर्ट के अलावा यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है कि सामग्री का खनन 1980 से पहले कानूनी रूप से किया गया था, जब पट्टा लागू था या डंप किए गए अयस्क की उक्त मात्रा पहले प्रतिवादी की है या कि पहला प्रतिवादी उक्त सामग्री को हटाने या बेचने का हकदार है। पहले प्रतिवादी ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी थी कि पट्टा समाप्त होने से पहले उक्त मात्रा में अयस्क का खनन किया गया था या अयस्क की उक्त मात्रा 1980 से पहले साइट पर पड़ी थी। खान निदेशक से भी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी और भूविज्ञान जो संबंधित विभाग है, या केंद्र सरकार से। दिनांक 24.4.2009 के आदेश में चार प्रश्न, महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख नहीं करते हैं:

(i) उक्त सामग्री का खनन/उत्खनन कब किया गया था?

(ii) डंप किए गए अयस्क में ग्रेड (अयस्क सामग्री का प्रतिशत) क्या है?

(iii) क्या पहला प्रतिवादी डंप की गई सामग्री का मालिक था?

(iv) क्या डंप की गई सामग्री को हटाने या उनके परिवहन में कोई बाधा थी?

उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर केवल खान एवं भूतत्व विभाग ही दे सकता है, वन विभाग नहीं। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें।

12. उप निदेशक की रिपोर्ट दिनाकित 18.6.2009 की सत्यता एवं विश्वसनीयता वन संरक्षक स्वयं संदिग्ध एवं संतोषजनक से भिन्न है। उपनिरीक्षक द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन नहीं किया गया। वन संरक्षक जिन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने उपनिरीक्षक को इसकी जानकारी दी।बदले में वन संरक्षक को पत्र दिनांक 30.5.2009 द्वारा उच्च न्यायालय के एक पक्षीय अंतरिम निर्देश के बारे में उप संरक्षक ने सहायक वन संरक्षक को एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। सहायक वन संरक्षक ने दिनांक 16.6.2009 को एक रिपोर्ट उप निदेशक को दी। जिसे वन संरक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.6.2009 में शामिल किया था। उक्त रिपोर्ट का समर्थन या सत्यापन करने वाला कोई हलफनामा भी नहीं था।

ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्ट लापरवाही से और जल्दबाजी में तैयार की गई है। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें।

13. रिट याचिका दायर करने में अस्पष्ट देरी और लापरवाही हुई। पट्टे की अवधि 6.7.1985 को समाप्त हो गई। चौबीस साल बाद यानी वर्ष 2009 में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आवश्यक शुल्क/रॉयल्टी एकत्र करके अयस्क उठाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई। यह कहने के अलावा कि डंप की गई सामग्री का पहले कोई मूल्य नहीं था, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि 24 वर्षों तक, पहले प्रतिवादी द्वारा उक्त "सामग्री" के संबंध में स्वामित्व का दावा करने या उसे हटाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि उक्त सामग्री 62% से 63% या उससे कम ग्रेड की थी। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि पहले प्रतिवादी ने खनन अधिकारियों या वन अधिकारियों या राज्य सरकार को नौ डंपों में खनन क्षेत्र में खनन अयस्क के अस्तित्व के बारे में रिटर्न रिपोर्ट या अन्यथा सूचित किया था। पहले प्रतिवादी ने पहले 14.2.2008 को एक नकली दस्तावेज़ पेश किया था जिसमें कहा गया था कि अपशिष्ट डंप (एक लाख टन का) खनन सामग्री नहीं था, बल्कि इसमें प्राकृतिक रूप से नष्ट हुई मिट्टी और पड़ोसी खदानों से फेंका गया अपशिष्ट शामिल था। हालाँकि पहले प्रतिवादी ने बाद में स्वीकार किया कि दिनांक

14.2.2008 का उक्त पत्र नकली था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दस्तावेज़ की सामग्री झूठी और मनगढ़ंत थी। इस प्रकार रिट याचिका दायर करने से पहले एक चरण में, पहले प्रतिवादी ने दावा किया एवं जिसे हटाने की मांग की गई थी वह खनन किया गया खनिज नहीं था, बल्कि पड़ोसी खदानों से फेंकी गई मिटटी और कचरा था। लेकिन रिट याचिका में, पहले प्रतिवादी ने दावा किया कि विचाराधीन सामग्री पट्टा लागू होने के दौरान उसके द्वारा खनन किया गया निम्न ग्रेड का अयस्क था। विरोधाभासी रुख पहले प्रतिवादी के दावे पर संदेह पैदा करता है।

14. अदालतों को देश के जंगलों और खनिज संपदा के संरक्षण के लिए विधायी चिंता साझा करनी चाहिए। न्यायालयों को वन/खनन/पर्यावरण मामलों में अंतिम या अंतरिम आदेश जारी करने में सतर्क रहना चाहिए ताकि बेईमान ऑपरेटर बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने या देश की खनिज संपदा को लूटने या गलत बयानी के माध्यम से आदेशों को सुरक्षित करने के लिए अदालतों की प्रक्रिया का दुरुपयोग न करें। प्रासंगिक क़ानूनों के तहत प्रकिरयात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए गलत बयानी के माध्यम से आदेश दिये। अदालत को यह भी महसूस करना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार विशाल और जटिल संगठन हैं और कई बार पूछताछ, जांच या जांच की आवश्यकता वाले मामलों में जानकारी सुरक्षित करने और उन्हें अदालत को प्रदान करने

के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है। जहां खनन/पर्यावरण मामलों के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों से जुड़ी रिट याचिकाएं विचार के लिए आती हैं, अदालतों को तथ्यों को पूरी तरह से सत्यापित करने के बाद संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अपनी आपत्तियां/काउंटर दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय और छूट देनी चाहिए। यदि अनुचित जल्दबाजी होगी, तो संबंधित मंत्रालय/विभाग उचित या गहन सत्यापन नहीं कर पाएंगे और सही तथ्य नहीं रख पाएंगे। ऐसे उदाहरण नहीं हैं जहां राज्य/केंद्र सरकार के जिन अधिकारियों पर जनता के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वे बेईमान ऑपरेटरों के साथ मिलकर जनहित को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे मामलों में एक गलत निर्णय से सार्वजनिक हित के संबंध में वित्तीय और पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए खनिज संपदा, वन संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी रिट याचिकाओं का संबंधित विभागों को तथ्यों को सत्यापित करने और लिखित रूप में अपने प्रतिवाद/आपत्तियां दर्ज करने का उचित अवसर दिए बिना निपटारा नहीं किया जाना चाहिए।

15. यह मामला एक विशिष्ट उदाहरण है जहां 30.3.2009 को दायर विवादित और अज्ञात तथ्यात्मक आरोपों के निर्णय की आवश्यकता वाली एक रिट याचिका को राज्य सरकारों और एमओईएफ के खनन और वन विभागों को उचित अवसर दिए बिना 2.7.2009 को निपटा दिया गया है।

जब रिट याचिकाकर्ता की ओर से अदालत खटखटाने में लगभग एक चौथाई सदी की देरी हुई, तो संबंधित उत्तरदाताओं के प्रति-शपथपत्र के बिना, रिट याचिका का निपटारा मुश्किल से तीन महीने में नहीं किया जाना चाहिए था। भले ही रिट याचिका में उत्तरदाताओं के पास कोई जवाबी हलफनामा नहीं था, न ही जवाबी हलफनामा दायर करने का कोई अवसर था, उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य और केंद्र सरकारों ने रिट याचिका में पहले प्रतिवादी के दावों को स्वीकार कर लिया था और 2.7.2009 को अनुमति दी थी। फिर, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या राज्य सरकार से आपत्ति मांगे बिना अंतिम आदेश में संशोधन किया और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) को 6,49,94,820/- रुपये से घटाकर 4,69,45,200/-. रुपये कर दिया। शीघ्र न्याय प्रदान करने की चिंता का परिणाम सार्वजनिक हित का बलिदान नहीं होना चाहिए।

16. हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी जवाब-तलब के और संबंधित अधिकारियों द्वारा पहले प्रतिवादी के दावे का कोई उचित सत्यापन किए बिना तथ्य के गंभीर रूप से विवादित प्रश्नों पर जल्दबाजी में निर्णय लेने में गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता

17. तदनुसार हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं एवं उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका को खारिज करते हैं। हम पहले प्रतिवादी पर राज्य सरकार को देय 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाते हैं।

18. पहले प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह आदेश कानून के अनुसार उचित उपाय की मांग करने वाले पहले प्रतिवादी के रास्ते में नहीं आना चाहिए। यदि पहले प्रतिवादी के पास कानून में कोई उपाय है या किसी उपाय की तलाश के लिए कार्रवाई का कारण है, तो यह आदेश कानून के अनुसार ऐसे उपाय की मांग करने वाले पहले प्रतिवादी के रास्ते में नहीं आएगा।

अपील स्वीकार की जाती है।

नोट- यह अनुवाद आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस टूल ''सुवास'' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रनवीर सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।